



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 433 राँची, शुक्रवार

29 ज्येष्ठ, 1937 (श०)

19 जून, 2015 (ई०)

नगर विकास विभाग

अधिसूचना

11 जून, 2015

संख्या-4/नवि0/गठन/105/2015-...2071(अनु.)-- झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 (झारखण्ड अधिनियम, 07, 2012) की धारा-3 की उपधारा (1) एवं (2) तथा धारा 4, 5, 6 एवं 8 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड के राज्यपाल हजारीबाग जिलान्तर्गत हजारीबाग नगर परिषद, वर्ग-'क' के मूलरूप में उसके आस-पास के 19 राजस्व ग्रामों, यथा: (i) ओकनी- II (ii) मण्डई कंला (iii) मण्डई (iv) नवडीहा (v) कोलघट्टी-I (vi) कोलघट्टी-II (vii) जबरा (viii) लाखे (ix) चानो-I (x) मासीपीढी (xi) कुद-I (xii) सिरसी-I (xiii) हुरहुरु (अंश) (xiv) कस्तुरीखाप (xv) कदमा-II (xvi) रेवाली (रेलवे स्टेशन अंश) (xvii) कुद- II (xviii) सिरसी- II (xix) डामोडीह की जनसंख्या-56,543 को हजारीबाग नगर परिषद वर्ग-'क' की जनसंख्या-1,42,489 में जोड़कर समेकित रूप से कुल जनसंख्या-1,99,032 होने के फलस्वरूप हजारीबाग नगर परिषद, वर्ग-'क' को वृहत्तर शहरी क्षेत्र (नगर निगम) के रूप में घोषित करने संबंधी 'प्रारूप आदेश' निर्गत करना चाहते हैं।

इससे प्रभावित होने वाले व्यक्तियों के सूचनार्थ एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है कि इस अधिसूचना के "झारखण्ड गजट" में प्रकाशन के 30 (तीस) दिनों के अन्दर हजारीबाग नगर निगम के गठन के प्रस्ताव/प्रारूप पर आपत्ति एवं सुझाव उपायुक्त, हजारीबाग के कार्यालय में समर्पित कर सकते हैं।

उपर्युक्त निर्धारित अवधि के दौरान उपायुक्त, हजारीबाग के कार्यालय में प्राप्त आपत्तियों/सुझावों को झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 (झारखण्ड अधिनियम, 07, 2012) की धारा-5 की उपधारा-(2) के अधीन उपायुक्त, हजारीबाग द्वारा विचार करते हुए उनके निष्पादन हेतु आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।

प्रारूप आदेश

झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 (झारखण्ड अधिनियम, 07, 2012) की धारा-3 की उपधारा (1) एवं (2) तथा धारा 4, 5, 6 एवं 8 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड के राज्यपाल उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ हजारीबाग नगर परिषद, वर्ग-'क' के मूल रूप में उसके आस-पास के 19 राजस्व ग्रामों (राजस्व ग्रामों की सूची जनसंख्या सहित अनुलग्नक-I के रूप में संलग्न) को मिलाकर वृहत्तर शहरी क्षेत्र (नगर निगम) के रूप में घोषित करते हैं।

झारखण्ड के राज्यपाल के आदेश से,
अजय कुमार सिंह,
सरकार के सचिव ।

अनुलग्नक-I

हजारीबाग नगर निगम का गठन

उपायुक्त, हजारीबाग के पत्रांक-57/गो/मुख्य, दिनांक 26 मई, 15 द्वारा प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में प्रस्तावित हजारीबाग नगर परिषद, वर्ग-क में समाहित होनेवाले राजस्व ग्रामों की सूची जनसंख्यावार निम्नवत है:-

क्र.	प्रखण्ड का नाम	क्र.	राजस्व ग्राम	थाना संख्या	क्षेत्रफल (वर्ग कि.मी. में)	जनसंख्या (2011 के अनुसार)	जनसंख्या घनत्व
1	सदर	i	ओकनी- II	137	1.083	11106	10254
		ii	मण्डई कंला	131	2.77	10447	3771
		iii	मण्डई	133	0.015	0	0
		iv	नवडीहा	162	1.21	797	659
		v	कोलघट्टी-I	134	0.86	4317	5019
		vi	कोलघट्टी-II	132	0.236	1817	7900
		vii	जबरा	154	2.83	2419	855
		viii	लाखे	155	0.88	4412	5014
		ix	चानो-I	148	0.55	487	885
		x	मासीपीढी	120	2.86	1262	461
						143	0.57

		xi	कुद-।				
		xii	सिरसी-।	144	0.56	1621	2948
		xiii	दुरदुरु (अंश)	147	0.46	1919	4172
2	कटकमदाग	xiv	कस्तुरीखाप	29	0.30	440	1466
		xv	कदमा-।।	128	2.33	7239	3106
		xvi	रेवाली (रेलवे स्टेशन अंश)	124	1.85	1576	841
		xvii	कुद- ।।	123	3.16	3400	1075
		xviii	सिरसी- ।।	121	2.84	1013	408
		xix	डामोडीह	122	2.23	2106	944
कुल					27.59 4	56543	50067

(ह०/-) अस्पष्ट,
सचिव
नगर विकास विभाग ।
